



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
भवानीमण्डी

मेहरबानसिंह आत्मज कालूसिंह आयु 40 साल जाति सौधिया राजपूत निवासी चौहानों  
का खेडा तहसील पचपहाड जिला झालावाड  
श्यामसिंह आत्मज दाणीसिंह आयु 50 साल जाति सौधिया राजपूत निवासी चौहानों का  
खेडा तहसील पचपहाड जिला झालावाड  
- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- उमराव आत्मज भंवरलाल आयु 55 साल जाति नायक निवासी नलखाडी हाल मैसोदा  
तहसील भानपुरा जिला मंदसौर म.प्र.
- 2- सोजन आत्मज भंवरलाल आयु 52 साल जाति नायक निवासी नलखाडी हाल मैसोदा  
तहसील भानपुरा जिला मंदसौर म.प्र.
- 3- सावित्रीबाई पत्नी भग्गा आयु 60 साल जाति नायक निवासी नलखाडी हाल विक्रमगढ  
आलोट तहसील आलोट जिला रतलाम म.प्र.
- 4- गुड्डीबाई उम्र 25 साल पुत्री भग्गा जाति नायक निवासी नलखाडी हाल विक्रमगढ  
आलोट तहसील आलोट जिला रतलाम म.प्र.
- 5- कालीबाई उम्र 23 वर्ष पुत्री भग्गा जाति नायक निवासी नलखाडी हाल विक्रमगढ  
आलोट तहसील आलोट जिला रतलाम म.प्र.
- 6- देवीलाल उम्र 20 वर्ष आत्मज भग्गा जाति नायक निवासी नलखाडी हाल विक्रमगढ  
आलोट तहसील आलोट जिला रतलाम म.प्र.
- 7- संजू उम्र 16 वर्ष नाबालिग जरिये वली माता सावित्रीबाई पत्नी भग्गा जाति नायक  
निवासी नलखाडी हाल विक्रमगढ आलोट तहसील आलोट जिला रतलाम म.प्र.
- 8- बंटी उम्र 12 वर्ष नाबालिग जरिये वली माता सावित्रीबाई पत्नी भग्गा जाति नायक  
निवासी नलखाडी हाल विक्रमगढ आलोट तहसील आलोट जिला रतलाम म.प्र.
- 9- राजस्थान सरकार जयें श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील पचपहाड  
- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
एवं ओर्डर 39 रूल 1 व 2 व धारा 151 जा.दी.  
संख्या /2019

,मान्यवर,

प्रार्थीगण निम्न प्रार्थना पत्र सादर प्रस्तुत करते हैं:-

- 1- यहकि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक वाद अंतर्गत धारा 88 आर टी एक्ट के  
तहत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जो सही एवं ठोस आधारों पर होने से  
सफलता की पूर्ण उम्मीद हैं।
- 2- यहकि ग्राम नलखाडी पटवार क्षेत्र आंकखेडी तहसील पचपहाड की खाता संख्या नया  
262 पुराना 248 के खसरा नं. 5 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 9 रकबा 9 बीघा  
10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा आराजी स्थित है, जिसके सम्बन्ध में  
यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है, इसलिए उक्त वर्णित भूमि को प्रार्थना पत्र में  
वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया हैं।
- 3- यहकि अप्रार्थीगण को रूपयो की सख्त आवश्यकता होने से वादग्रस्त आराजी को  
अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के पिता को दिनांक 25.5.1992 को कीमतन 65,000/-रूपये  
अक्षरे पैसठ हजार रूपये में बेचान कर कब्जा संभला दिया था तब से आज तक  
वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण के पिता तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही  
है, जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण सहित समस्त ग्रामवासियों को भी है। प्रार्थीगण का  
कब्जा खुले रूप से एलानिया चला आ रहा हैं।